न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 69 / 2024	2024 / 56	12.06.2024	04.12.2024

1– नवीन पत्नि मिथुन कुमार जाति अहीर निवासी मनेठी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान।

2– संतोष देवी पत्नि रमेशचन्द जाति अहीर निवासी मनेठी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान।

3– भगवती देवी पत्नि रामेश्वर जाति अहीर निवासी मनेठी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान।

अपीलान्टान

बनाम

1–तहसीलदार, मुण्डावर खैरथल तिजारा, राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर निर्णय दिनाक 15.05.2024 नामान्तकरण संख्या 69 वाके ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री सतीश यादव —वकील अपीलान्टान

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 69 निर्णय दिनांक 15.05.2024 वाके ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि मिन अपीलान्टान ने आराजी खसरा नम्बरान 451 रकबा 0.06 है0, 469 रकबा 0.06 है0, 567 रकबा 0.77 है0, 568 रकबा 2.14 है०, किता 4 कुल रकबा 3.03 है0 का 87 / 1080 वा हिस्सा व ख0 न0 569 रकबा 2.78 है०, का 87 / 1080 भाग ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर को जर्ये रजिर्स्टड बैयनामा दिनांक 15.05.2024 को खरीद किया है। जिसमें अपीलान्ट स० 1 का 14 / 47 भाग, अपीलान्ट स० 2 का 19 / 47 भाग व अपीलान्ट स० 3 का 14 / 47 भाग खरीद किया है। तथा वक्त बैयनामा खरीद से ही उक्त अनुसार ही मिन अपीलान्टान उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मिन अपीलान्ट स० 2 व 3 ग्रामीण महिला है, तथा मिन अपीलान्ट ने आराजी ख0 न0 451 रकबा 0.06 है0, 469 रकबा 0.06 है0, 567 रकबा 0.77 है0, 568 रकबा 2.14 है0, 569 रकबा 2.78 है०, का 87 / 1080 भाग ग्राम मनेठी का बैयनामा उप पंजियक मुण्डावर में पंजिबद्ध होने पर ऑनलाईन ईन्तकाल पंजियन कार्यालय से रेस्पोडेन्ट स० 1 के पास भेजा जिस पर रेस्पोडेन्ट स० 1 ने बिना बयनामा से मिलान किये ही बयनामा के खिलाफ उक्त नामान्तकरण स्वीकार फरमा दिया। जिसमें अपीलान्ट स० 1 का 203 / 4860 हिस्सा स्वीकार किया जो सही स्वीकार किया। अपीलान्ट स० 2 का भी 203 / 8460 हिस्सा स्वीकार किया जो सही स्वीकार किया। जबकि अपीलान्ट स० 2 का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

551/16920 वॉ हिस्सा दर्ज व स्वीकार होना चाहिए था। इसी प्रकार अपीलान्ट स० 3 के हक में 551/16920 वॉ हिस्सा दर्ज व स्वीकार हुआ जो भी गलत है, सही हिस्सा 203/8460 वॉ हिस्स दर्ज व स्वीकार होना चाहिए था। दिंनाक 24.08.2024 को अपीलान्टान ने ई–मित्र कियोस्क से के.सी.सी. के लिए नकल जमाबन्दी प्राप्त करने से गलत ईन्तकाल के बारे में जानकारी हुई, जिस पर मिन अपीलान्टान ने राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त की तो मिन अपीलान्टान को उक्त गलत इन्तकाल की जानकारी हुई उसके बाद कानूनी सलाह मशवरा कर अविलम्ब यह अपील पेश की जा रही है। जो अन्दर अवधि प्रस्तूत है। मिन अपीलान्टान ने दिनांक 24.08.2024 को हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्तकाल की जानकारी हुई. जो इन्तकाल गलत दर्ज किया गया है। जो कानूनी तोर पर गलत है। तथा न्याय व विधि तथ्यो के विपरित है। इसलिए अदलात हाजा में अपील पेश की जा रही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णत दिनाक 15.05.2024 नामान्तकरण संख्या 69 ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर को निरस्त किया जाकर मिन अपीलान्टान स० 2 व 3 का बैयनामा के आधार पर हिस्सा दर्ज व मंजूर किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा नम्बरान 451 रकबा 0.06 है0, 469 रकबा 0.06 है0, 567 रकबा 0.77 है0, 568 रकबा 2.14 है०, किता 4 कुल रकबा 3.03 है0 का 87/1080 वा हिस्सा व ख0 न0 569 रकबा 2.78 है०, का 87/1080 भाग ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर को जर्ये रजिर्स्टड बैयनामा दिनांक 15.05.2024 को खरीद किया है। जिसमें अपीलान्ट स० 1 का 14/47 भाग, अपीलान्ट स० 2 का 19/47 भाग व अपीलान्ट स० 3 का 14/47 भाग खरीद किया है। तथा वक्त बैयनामा खरीद से ही उक्त अनुसार ही मिन अपीलान्टान उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। बैयनामा उप पंजियक मुण्डावर में पंजिबद्ध होने पर ऑनलाईन ईन्तकाल पंजियन कार्यालय से रेस्पोडेन्ट स० 1 के पास भेजा जिस पर रेस्पोडेन्ट स० 1 ने बिना बयनामा से मिलान किये ही बयनामा के खिलाफ उक्त नामान्तकरण स्वीकार फरमा दिया। जिसमें अपीलान्ट सं० 1 का 203/4860 हिस्सा स्वीकार किया जो सही स्वीकार किया। अपीलान्ट सं० 2 का भी 203/8460 हिस्सा स्वीकार किया जो सही स्वीकार किया। जबकि अपीलान्ट स० 2 का 551/16920 वॉ हिस्सा दर्ज व स्वीकार होना चाहिए था। इसी प्रकार अपीलान्ट सं० 3 के हक में 551/16920 वॉ हिस्सा दर्ज व स्वीकार हुआ जो भी गलत है, सही हिस्सा 203/8460 वॉ हिस्स दर्ज व स्वीकार होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.05.2024 न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.05.2024 नामान्तकरण संख्या 69 वाके ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि पक्षकारान के मध्य हुये बयनामा के अनुसार हिस्से के बाबत पुनः जॉच कर विधिवत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/12/24

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा